रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2366] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936

No. 2366] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवंबर, 2014

का.आ. 2946 (अ).—केंद्रीय सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 मई, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1272(अ), तारीख 14 मई, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 जून, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1449(अ), तारीख 5 जून, 2014 द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.पी.मित्तल थे, का गठन किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या लिट्टे को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने का पर्याप्त कारण हैं या नहीं, 11 जून, 2014 को उक्त अधिसूचना उक्त अधिकरण को निर्दिष्ट की थी;

और, उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन किए गए 11 नवम्बर, 2004 के अपने आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसरण में उक्त अधिकरण के आदेश को प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

(निर्णय अंग्रेजी अधिसूचना में छपा है)

[फा. सं. I-11034/1/2014-आई एस- I]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव